भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 706
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जेजेएम के तहत अनियमितताएं

706. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के बीड जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में देरी, अधूरे कार्यों, निष्पादन की खराब गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिले में स्वीकृत की गई पेयजल आपूर्ति योजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा इसके लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत एवं जारी की गई है और कितना व्यय किया गया है तथा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और योजना-वार प्रतिशत कितना है;
(ग) क्या सरकार को फर्जी या गैर-कार्यात्मक कार्यों, दोषपूर्ण पाइपलाइनों, नकली घरेलू नल कनेक्शनों, वित्तीय अनियमितताओं या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो की गई जांच और संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के खिलाफ की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार बीड जिले में जल जीवन मिशन के सभी कार्यों का एक स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय संपरीक्षा कराने का है और यदि हां, तो पारदर्शिता, जवाबदेही, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): पेयजल 'राज्य' का विषय है, और इसलिए, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके

राज्यों की मदद करती है। इस प्रकार, जेजेएम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ घटिया कार्य और वित्तीय अनियमितताओं सहित सवालों/शिकायतों आदि पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्रवाई की और निपटान किया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बीड डिवीजन में 26 योजनाएं हैं, जिनमें से 25 योजनाएं जेजेएम के तहत हैं और 01 एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत है और इसे जिला परिषद, बीड को सौंप दिया गया है। बीड जिले में जल जीवन मिशन के तहत 25 जलापूर्ति योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। निर्धारित समय के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता, समय पर रेलवे और रोड क्रॉसिंग प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब, खेतों में फसलों के कारण स्थानीय किसानों द्वारा बाधा और समय पर कार्य के लिए आवश्यक निधियों की अनुपलब्धता आदि जैसे कारणों से कार्यान्वयन में कुछ हद तक विलंब हुआ है। उपर्युक्त 26 योजनाओं में से किसी भी योजना का कार्य खराब गुणवत्ता का नहीं रहा है और न ही किसी योजना के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि जिला परिषद बीड में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर कार्यों के निष्पादन में विलंब, अपूर्ण कार्यों, निष्पादन की खराब गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, निरीक्षण/पूछताछ की जाती है।

(ख): जैसा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बीड में कुल 26 योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनकी कुल लागत 408.1908 करोड़ रुपये है और अब तक इन योजनाओं पर कुल 216.6884 करोड़ रुपये की निधि संवितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, जिला परिषद बीड के तहत, जेजेएम के तहत 1,451.28 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ कुल 1273 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से अब तक 805.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बीड जिले में जेजेएम के तहत किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	6.9871
2022-23	127.3596
2023-24	507.4287
2024-25	113.5309
2025-26	50.32

(ग): महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समय-समय पर अवरुद्ध कार्यों, दोषपूर्ण पाइपलाइनों, पारिवारिक नल कनेक्शनों और कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों की जांच संबंधित

उप अभियंताओं और मंडल स्तरीय समितियों द्वारा की गई जांचों के माध्यम से की जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि जिला परिषद, बीड के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन और नियोजन किया गया था। उक्त जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और फिलहाल चल रही है। साथ ही, निरीक्षणों के दौरान पाई गई छोटी-मोटी खामियों तथा कमियों को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर ठीक कर लिया गया था। इसके अलावा, इन स्कीमों का टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण किया जाता है। निधियों को जारी करने से पहले निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जिससे निर्धारित गुणवत्ता मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

(घ): राज्य ने सूचित किया है कि जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा गुणवत्ता पहलुओं को बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति की जाती है, जो गुणवत्ता के संबंध में सुधारात्मक उपायों के सुझाव के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जिनका अनुपालन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपने ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक और गुणवत्ता पहलुओं के निरीक्षण के लिए योजनाओं हेतु मासिक दौरे के लिए राज्य द्वारा राज्य नोडल अधिकारियों को स्वत: नियुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार मिशन के कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु क्षेत्रों को प्रकटित करने के लिए समीक्षा बैठकों और बहु-विषयक दलों के दौरों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इसके अलावा, निष्पादन की गुणवत्ता पर जोर देते हुए एक संशोधित और व्यापक चेकलिस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) के लिए निगरानी ढांचे को सुदृढ़ बनाकर योजनाओं के जमीनी सत्यापन को बढ़ाया गया है। सुधारात्मक उपाय करने के लिए एनडब्ल्यूई की रिपोर्टों को जेजेएम-आईएमआईएस के माध्यम से राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
